

(7) विभाग की व्यवस्था की विशिष्टियाँ जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है :

मद्यनिषेध के कार्यकलापों को द्रुतगति एवं समसामयिक परिवर्द्धन प्रदान करने हेतु राज्य मद्यनिषेध अधिकारी द्वारा विभागीय नीति की संरचना समय-समय पर यथावश्यकता की जाती है।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान समितियों एवं उ0प्र0 राज्य मद्यनिषेध परिषद में नामित सदस्यों के माध्यम से विभाग के कार्यों के संबंध में विचार-विमर्श कर उनके सुझावों पर कार्यवाहियाँ की जाती है।

प्रदेश स्तर पर मा0 मद्यनिषेध मंत्री जी की अध्यक्षता में उ0प्र0 राज्य मद्यनिषेध परिषद गठित है। जिसमें सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यों द्वारा जनता से नशा निवारण कार्य के लिए सहयोग, मादक पेयों व पदार्थों के निषेध संबंधी समस्याओं के विरुद्ध जनमत को प्रचार साधनों द्वारा सामाजिक आधार पर संगठित करने, मादक वस्तुओं से संबंधित अपराधों को पकड़ने तथा रोकने की रीतियों में सुधार व सुझाव देने व सहयोग करने, मद्यपान से ध्यान हटाने के लिए मनोरंजन के साधन तथा अन्य कार्यवाहियाँ जो अपेक्षित हों का परामर्श देने का कार्य किया जाता है।

गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं को भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार नशा निर्व्यसन केन्द्रों के संचालन हेतु संस्थाओं को भारत सरकार से अनुदान दिलाये जाने हेतु उनके द्वारा नियमानुसार प्रस्तुत प्रस्तावों पर राज्य मद्यनिषेध अधिकारी की संस्तुति के साथ शासन को प्रस्ताव अग्रसारित किये जाने का प्राविधान है।